भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2425
06 अगस्त, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: धान खरीद मूल्य का वितरण

2425 श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल राज्य में कुट्टानाड और राज्य के अन्य प्रमुख धान उत्पादक क्षेत्रों सहित धान खरीद मूल्य के वितरण में विलंब और भुगतान न किए जाने जैसे मुद्दों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या केंद्र सरकार ने केरल राज्य के लिए धान खरीद मूल्य का अपना हिस्सा उद्दिष्ट किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त राज्य में धान खरीद मूल्य के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले आवंटन के हिस्से के वितरण में कोई देरी हुई है और यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले तीन सत्रों के दौरान उक्त राज्य के लिए धान खरीद मूल्य की हिस्सेदारी का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार धान रसीद पत्रक (पीआरएस) के उत्पादन पर फसलोत्तर ऋण के रूप में धान खरीद मुद्दों का समाधान करने का विचार रखती है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
<u>कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)</u>

(क) से **(ग)**: केरल एक विकेन्द्रीकृत खरीद (डीसीपी) राज्य है, जहाँ खरीद कार्य राज्य सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा किया जाता है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का सीधा भुगतान करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण पर केरल राज्य सरकार द्वारा किए गए व्यय (एमएसपी और अन्य प्रासंगिक व्यय) की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।

भारत सरकार के विभिन्न केंद्रीय योजनाओं, जिसमें अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई), प्राथमिकता वाले परिवार (पीएचएच), गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम (डब्ल्यूबीएनपी), प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण-पीएम-पोषण [पूर्ववर्ती मिड डे मील (एमडीएम) योजना] आदि शामिल हैं, के तहत खाद्यान्न वितरण के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत त्रैमासिक खाद्य सब्सिडी दावे के आधार पर खाद्य सब्सिडी जारी करती है । पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान खाद्य सब्सिडी के लिए केरल राज्य सरकार को जारी की गई धनराशि का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	सब्सिडी (रुपए करोड़ में)
2021-22	1777.86
2022-23	1544.89
2023-24	1151.85
2024-25 (दिनांक 30.06.2024 तक की स्थिति के अनुसार)	366.60

(घ) : केरल सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिछले तीन मौसम के दौरान धान की खरीद के लिए राज्य प्रोत्साहन बोनस निम्नानुसार है:

वर्ष	राज्य प्रोत्साहन बोनस/किलोग्राम (रु. में)
2021-22	8.6
2022-23	7.8
2023-24	6.37

(ड.) और **(च)** : चूंकि केरल डीसीपी राज्य है, इसलिए किसानों को भुगतान की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। भारत सरकार द्वारा केरल राज्य सरकार को किसानों को एमएसपी का भुगतान खरीद रसीद जारी होने के 48 घंटे के भीतर करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं और किसी भी स्थिति में 7 दिनों से अधिक नहीं होने चाहिए।

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि किसानों को धान रसीद शीट (पीआरएस) ऋण के रूप में भुगतान के लिए कंसोर्टियम बैंकों को 1577.22 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है और 1,65,383 किसानों को किया गया कुल भुगतान 1345.72 करोड़ रुपये है।
